विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
नई दिल्ली

डॉ. मेघनाद साहा पुरस्कार योजना

हिन्दी में मौलिक वैज्ञानिक पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007 तथा 2008 (1 जनवरी, 2007 से 31 दिसम्बर, 2008 तक) के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी की चार शाखाओं नामतः इंजीनियरी विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीवन विज्ञान और रसायन विज्ञान में से प्रत्येक विषय पर लिखी गई पुस्तकों/पांडुलिपियों के लेखकों को निम्नलिखित नकद पुरस्कार प्रदान करने के लिए आवेदन - पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :

प्रथम पुरस्कार	:	1,00,000/- रूपये
द्वितीय पुरस्कार	:	50,000/- रूपये
तृतीय पुरस्कार	:	25,000/- रूपये
2 सांत्वना पुरस्कार	:	10,000/- रूपये प्रत्येक

उपर्युक्त पुरस्कार प्रत्येक शाखा के लिए अलग - अलग दिये जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत केवल उपर्युक्त अवधि में लिखी गई पांडुलिपियों/ पुस्तकों पर विचार किया जाएगा। निर्धारित आवेदन पत्र और इस योजना का ब्यौरा अपना पता लिखा लिफाफा भेजकर या व्यक्तिगत रूप से संयुक्त निदेशक (रा. भा.), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, टैक्नोलॉजी भवन, नया महरौली मार्ग, नई दिल्ली - 110016 (टेलीफोन नं. 26522245, 26520431) से प्राप्त किये जा सकते हैं।

विधिवत् भरा हुआ आवेदन पत्र इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर भेज दिया जाए।

विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइटः www.dst.gov.in देखें।

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
New Delhi

DR. MEGHNAD SAHA AWARD SCHEME

Applications are invited for giving following Cash awards for the year 2007 & 2008 (the period between 1 January, 2007 to 31 December 2008) to the authors of original books/ manuscripts written and published in Hindi in four branches of Science and Technology viz. Engineering, Physical Science, Life Sciences and Chemical Sciences with a view to encourage original book writing in Hindi:

First Prize	:	Rs. 1,00,000/-
Second Prize	:	Rs. 50,000/-
Third Prize	:	Rs. 25,000/-
2 Consolation Prizes	:	Rs. 10,000/- For each

The above prizes will be given to each of the branches separately. Under the Scheme manuscripts/ books written and published during the above period, will only be considered. Prescribed Application form and details of the scheme can be obtained by sending a self addressed envelope or personally from Joint Director (OL), Department of Science and Technology, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi – 110016 (Ph. 26522245, 26520431)

The last date for receipt of duly completed application in all respects is within 30 days from the date of publication of this advertisement.

For detailed information please log on our website www.dst.gov.in

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
टैक्नोलॉजी भवन, नया महरौली मार्ग, नई दिल्ली - 110016

" डा. मेघनाद साहा पुरस्कार योजना"

आवेदन पत्र

आवेदक के सम्बंध में विवरण

नाम ....

पिता/ पति का नाम ....

जन्म तिथि ....

व्यवसाय ....

राष्ट्रीयता ....

घर का पता ....
....
....

कार्यालय का पता ....
....
....

फोन नं. (सम्पर्क के लिए) ....

........2/-

<u>प्रकाशित पुस्तक/पाण्डुलिपि के सम्बंध में ब्यौरा</u>

प्रकाशित पुस्तक/ पांडुलिपि का शीर्षक ....
पुस्तक के प्रकाशक का नाम और पता ....
पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? ....

क्या पुस्तक/पांडुलिपि का किसी अन्य योजना के अंतर्गत किसी भी स्त्रोत से, कोई पुरस्कार, सहायता या आर्थिक प्रोत्साहन मिला है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें। ....
....
....

क्या पुस्तक/पांडुलिपि किसी अन्य लेखक द्वारा किसी अन्य भाषा में लिखी गई और उसका अनुवाद आवेदक ने किया है? ....

क्या पुस्तक/पांडुलिपि आवेदक द्वारा मूल रूप से किसी अन्य भाषा में लिखी गई और उसका हिन्दी अनुवाद स्वयं लेखक ने अथवा किसी व्यावसायिक अनुवादक ने तैयार किया है? ....

क्या पुस्तक आवेदक ने मूल रूप से हिन्दी में अथवा किसी अन्य भाषा में अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने शासकीय कामकाज के एक भाग के रूप में लिखी है? ....

क्या पुस्तक आवेदक द्वारा स्वयं अथवा किसी व्यावसायिक अनुवादक द्वारा किया गया किसी ऐसी पुस्तक अथवा लेख का हिन्दी अनुवाद है जिसे आवेदक ने अंग्रेजी में अथवा किसी अन्य भाषा में अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने शासकीय कामकाज के एक भाग के रूप में लिखा है ? ....

........3/-

क्या पुस्तक आवेदक द्वारा स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हिन्दी में तैयार की गयी किसी ऐसी पुस्तक अथवा लेख का विस्तृत/संक्षिप्त रूप अथवा सार है जिसे आवेदक ने अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने शासकीय कामकाज के एक भाग के रूप में अंग्रेजी में अथवा किसी अन्य भाषा में लिखा है तथा/अथवा प्रकाशित कराया ?	....
क्या पुस्तक किसी सरकारी ठेके के अंतर्गत अथवा सरकारी योजना के अनुसार लिखी गई है ?	....
पुस्तक/पांडुलिपि आवेदक ने संयुक्त रूप से लिखी है। यदि हां, तो सह - लेखक का नाम पता आदि लिखें।	....

मैं घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त सूचना मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि 'डा. मेघनाद साहा पुरस्कार योजना' के तहत पिछले तीन वर्षों में मेरी किसी रचना को पुरस्कार नहीं दिया गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम:

तारीख..............................

आवश्यक नियम

1. पाडुंलिपि की चार प्रतियां साफ - साफ टाइप करवाकर भेजी जानी चाहिएं। यदि पुस्तक के लेखकों की संख्या एक से अधिक है तो प्रत्येक आवेदक पृथक आवेदन - पत्र भरे और ऐसे सभी आवेदन - पत्र इस विभाग को एक साथ भेजे जायें।

2. आवेदन - पत्र/ आवेदन - पत्रों के साथ प्रकाशित पुस्तक/ पांडुलिपि की कम से कम "चार" प्रतियां अवश्य भेजें। इसे संयुक्त निदेशक (राजभाषा) कमरा नं. 2, टाइफैक बिल्डिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, टैक्नोलॉजी भवन, नया महरौली मार्ग, नई दिल्ली - 110016 के पते पर भेजें।

3. आवेदन - पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसके साथ अपना संक्षिप्त जीवनवृत्त और पासपोर्ट साइज के दो फोटो भी अवश्य लगायें।

4. यदि आप कोई प्रकाशित पुस्तक भेज रहे हैं तो पुस्तक के प्रकाशक द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण - पत्र आवेदन - पत्र के साथ लगा दें कि प्रकाशक को आपके पुरस्कार योजना में भाग लेने पर कोई आपत्ति नहीं है।

5. पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए इस विभाग को भेजी गई पुस्तकों/ पांडुलिपियों की प्रतियां लौटाई नहीं जायेंगी।

6. बिना हस्ताक्षर किये आवेदन - पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7. पांडुलिपियों के साथ लेखक की यह लिखित वचनबद्धता संलग्न होनी चाहिए कि यदि पांडुलिपियों को पुरस्कार के लिए चुन लिया गया तो पुरस्कार की घोषणा के छह माह के भीतर उसे प्रकाशित करा लिया जाएगा।

8. जो प्रविष्टियां इस प्रतियोगिता के अंतर्गत पहले भेजी जा चुकी हैं, उन्हें दौबारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9. डा. मेघनाद साहा पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी की चार शाखाओं अर्थात इंजीनियरी विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीवन विज्ञान और रासायनिक विज्ञान में मूल रूप से हिन्दी में लिखी गई पांडुलिपियों तथा प्रकाशित पुस्तकों के लेखकों को क्रमशः प्रथम (1,00,000 रूपये), द्वितीय (50,000 रूपये) और तृतीय (25,000 रूपये) पुरस्कार अलग - अलग चारों विषयों पर दिये जाएंगे। इसके अलावा 10 - 10 हजार रू. के 2 प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिये जायेगें।

10. इस योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तक/ पांडुलिपि पर अंतर - मंत्रालय मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकर होगा।

11. इस योजना में देश और विदेश में भारतीय नागरिकों सहित सभी वैज्ञानिक विभागों में काम कर रहे वैज्ञानिक भाग ले सकते हैं।

12. पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करने पर केवल प्रथम श्रेणी का रेल किराया दिया जाएगा।

13. पुरस्कृत लेखक तीन वर्षों के उपरान्त इस योजना में पुनः भाग ले सकते हैं।

14. यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पुस्तक किसी अन्य पुस्तक/ लेखों आदि से अनूदित, इनसे नकल की गई नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा पाया गया तो पुस्तक स्वीकार नहीं की जाएगी और यदि पुरस्कार देने के बाद ऐसा पाया गया तो विभाग को पूरा अधिकार होगा कि वह पुरस्कार की धनराशि लेखक से वापस ले। ऐसे विवाद का न्यायिक निपटान दिल्ली संघ क्षेत्र में होगा।

15. ऐसी पुस्तकें जो किसी पाठ्यक्रम के लिये या किसी भी सरकारी विभाग/ एजेंसी से प्राप्त अनुदान/ सहायता से लिखी/ प्रकाशित की गई हो, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।